संख्या-**6/2022/**सामान्य-63-का-4-2022-15/20/95

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ:: दिनांक :: 22 अप्रैल,2022

विषय:- चयन वर्ष 2022-23 की सीधी भर्ती की रिक्तियों का अधियाचन प्रेषित किया जाना ।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सीधी भर्ती की रिक्तियों को लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था है । उक्त हेतु विभिन्न विभागों द्वारा रिक्त पदों पर चयन कराये जाने हेतु आयोगों को अधियाचन प्रेषित किये जाते हैं । समय से अधियाचन प्रेषित न किये जाने से चयन की कार्यवाही में अनापेक्षित विलम्ब होता है ।

2. अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि चयन वर्ष 2022-23 की सीधी भर्ती की रिक्तियों के सापेक्ष वांछित अधियाचन, निर्धारित प्रारूप पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को दिनांक 31.05.2022 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या-**6/2022/**सामान्य-63-का-4-2022-15/20/95(1)तददिनांक.

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज ।
(2) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ ।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया हैा अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in